विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-01/2021

श्री अमित कुमार पिता नारायण छाबड़िया, — आवेदक/अपीलार्थी
खसरा क्र. 119/1, उद्योग नगर,
बुरहानपुर (म0प्र0) पिन कोड– 450331

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
शनवारा मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

सहायक यंत्री (राजस्व, लालबाग झोन),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
स्टेशन मार्ग, बुरहानपुर (म.प्र.) – 450331

— अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण

आदेश

(दिनांक 24.08.2021 को पारित)

01. आवेदक श्री अमित कुमार पिता नारायण छाबड़िया, खसरा क्र. 119/1, उद्योग नगर, बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 22.01.2021 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक डब्ल्यु 0455220 दिनांक 27.11.2020 से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 12.02.2021 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–01/2021 पर दर्ज की गई है ।

02. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अन्तिम तर्क के आधार पर विद्वान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा दिनांक 27.11.2020 को आदेश पारित कर आवेदक के परिवाद को अस्वीकार कर अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी द्वारा दिसम्बर 2018 से जनवरी 2019 के वसूली योग्य राशि 4,42,929/– एवं अगस्त 2018 से मीटर क्रमांक 3029005 निकालने के दिनांक 30.11.2018

तक वसूली योग्य राशि रू. 10,81,761/– रू. की मांग को उचित पाया गया एवं उक्त राशि को भुगतान करने हेतु परिवादी को आदेशित किया गया । उक्त आदेश से व्यथित होकर आवेदक/अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

03. प्रकरण में इन तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक/अपीलार्थी को माह अगस्त 2018 में स्वीकृत भार 100 एच.पी. का गैर घरेलू उपयोग हेतु कनेक्शन प्रदान किया गया था । उक्त कनेक्शन पर अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी द्वारा विद्युत मीटर क्रमांक 3029005 स्थापित किया गया था । विद्युत मीटर क्रमांक 3029005 माह दिसम्बर 2018 में नोडिस्प्ले/जल जाने के कारण दिनांक 10.12.2018 (में आवेदक के द्वारा मीटर की कास्ट 16,050 रू. रसीद क्रमांक 6540 x 287 के माध्यम से भुगतान किए जाने पर) उक्त कनेक्शन के मीटर क्रमांक 3029005 का पंचनामा कनिष्ठ यंत्री द्वारा बनाया गया । उक्त पंचनामें के अनुसार 2 मशीनें 16 – 16 एच.पी., एक मशीन 3 एच. पी. की, 10 पंखे, 12 सी.एफ.एल. एवं एक ए.सी. 1550 वाट, उक्त कनेक्शन से संयोजित होना दर्शाया गया था । अनावेदक द्वारा दिनांक 10.12.2018 में मीटर रिप्लेसमेंट फार्म पहुंचाकर आवेदक के हस्ताक्षर कराएं गए थे एवं उसी दिनांक को दूसरा मीटर क्रमांक 9022546 स्थापित किया गया था । मीटर क्रमांक 9022546 की कार्यप्रणाली खराब होने एवं असमंजस रीडिंग दर्शाएं जाने के कारण अनावेदक द्वारा दिनांक 02.02.2019 को पंचनामा बनाकर उक्त मीटर को निकाला गया एवं उक्त विद्युत संयोग पर मीटर रिप्लेसमेंट फार्म तैयार कर तीसरा मीटर क्रमांक 3549651 स्थापित किया गया । अनावेदक द्वारा आवेदक को नौ माह मार्च 2019 से माह नवम्बर 2019 तक की अवधि में मासिक विद्युत खपत 32618, 19624, 30284, 21231, 2964, 35045, 36176, 32177 एवं 37129 यूनिट के कुल 9 माह के बिल जारी किए गए । उक्त मासिक बिलों का आवेदक द्वारा नियमित रूप से भुगतान कर दिया गया है । अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 06.12.2019 एवं अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02.12.2019 जारी कर आवेदक से क्रमशः 10,28,201/– एवं 4,42,229/– रू. की मांग की गई ।

04. आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर (म.प्र.) के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा अपने स्वयं एवं परिवार के जीवन–यापन हेतु अनावेदक से अगस्त 2018 में स्वीकृत भार 100 एच.पी. का विद्युत कनेक्शन कामर्शियल उपयोग हेतु प्राप्त किया था । अनावेदक द्वारा उक्त कनेक्शन पर प्रथम विद्युत मीटर क्रमांक 3029005 स्थापित किया गया था । उक्त कनेक्शन से प्लास्टिक की बॉटल, बाल्टी, टोकरी, टब एवं अन्य सामग्रियां निर्मित किए जाने हेतु उपयोग किया जाता है। आवेदक द्वारा माह दिसम्बर 2018 में सर्वप्रथम 2 मशीनें 16–16

एच.पी., एक मशीन 3 एच.पी. की, 10 पंखे, 12 सी.एफ.एल. एवं 1550 वाट का एक ए.सी. संयोजित किया था । माह अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में उक्त कनेक्शन पर कोई मीटर संयोजित नहीं था इस कारण माह अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 तक की अवधि में मात्र 32 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज हो पाई थी । माह दिसम्बर 2018 में मीटर क्रमांक 3029005 नोडिस्प्ले/जल जाने के कारण आवेदक द्वारा दिनांक 10.12.2018 को 16,050 रू. का भुगतान कास्ट ऑफ मीटर के रूप में रसीद क्रमांक 6540 यूनिट 287 दिनांक 10.12.2018 के माध्यम से किया गया । उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् मीटर क्रमांक 3029005 का पंचनामा अनावेदक कनिष्ठ यंत्री द्वारा दिनांक 10.12.2018 को पंचनामा बनाया गया एवं उक्त पंचनामें में 2 मशीनें 16–16 एच.पी. और 1550 वॉट संयोजित होना दर्शाया गया ।

05. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपने परिवाद में यह भी व्यक्त किया गया था कि अनावेदकगण द्वारा इस संबंध में दिनांक 10.12.2018 को मीटर रिप्लेसमेंट फार्म पूर्ण कर उसी दिनांक को दूसरे मीटर क्रमांक 9022546 स्थापित किया गया था । उक्त कनेक्शन पर आवेदक द्वारा माह जनवरी 2019 को उक्त दो मशीनों के अतिरिक्त 16–16 एच.पी. की 2 अन्य मशीनें स्थापित की थी । दिनांक 10.12.2018 को स्थापित किए गए दूसरे मीटर क्रमांक 9022546 की कार्य–प्रणाली खराब होने एवं असमंजस रीडिंग दर्शानें के कारण उक्त मीटर को स्वयं अनावेदक द्वारा दिनांक 02.02.2019 को पंचनामा बनाया जाकर उक्त मीटर को डिफेक्टिव होना दर्शाया गया था एवं उसी दिनांक को मीटर रिप्लेसमेंट कर आवेदक के परिसर से उक्त मीटर को निकाला गया था एवं उक्त फार्म में उक्त मीटर को निकालते समय की रीडिंग 121055 FR के रूप में दर्शित कर तीसरे मीटर क्रमांक 3549651 स्थापित किया गया था।

06. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी व्यक्त किया गया है कि उसके परिसर से निकाले गए दूसरे मीटर क्रमांक 9022546 में आवेदक की बिना स्वीकृति से एवं आवेदक को बिना कोई सूचना दिए दिनांक 07.03.2019 को प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया जिसमें पूर्व रीडिंग 86210.7 KWh दर्शाकर उक्त मीटर को सही होना दर्शाया गया । उक्त कार्यवाही का आवेदक को घोर आपत्ति है, क्योंकि रिप्लेसमेंट फार्म एवं पंचनामा दिनांक 02.02.2019 में विरोधाभाष है, इसके अतिरिक्त स्वयं अनावेदक द्वारा उक्त मीटर को निकालते समय उक्त मीटर में डिफेक्टिव फास्ट का कारण दर्शातें हुए निकाला गया । अनावेदक द्वारा आवेदक को माह मार्च 2019 से नवम्बर 2019 तक की अवधि को भिन्न भिन्न यूनिट्स में 9 बिल जारी किए गए हैं जिनका भुगतान आवेदक द्वारा नियमित रूप से किया गया है । आवेदक की ओर से उक्त अवधि तक कोई राशि बकाया नहीं है । अनावेदक

क्रमांक 01 द्वारा पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 06.12.2019 एवं अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02.12.2019 जारी कर आवेदक से क्रमशः 10,28,201/– रू. एवं 4,42,929/– रू. की मांग की गई । आवेदक द्वारा राजस्व की मांग पर विस्तारपूर्वक घोर आपत्ति लेते हुए दिनांक 24.12.2019 को आपत्ति प्रस्तुत कर उक्त दोनों राशि निरस्त/रिवाईज किए जाने का निवेदन किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा उक्त दोनों आपत्तियों के संबंध में कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं दिया गया । इन परिस्थितियों में आवेदक द्वारा अनावेदकगण की ओर से मांग की गई 10,28,201/– रू. एवं 4,42,929/– रू. की राशि को निरस्त/रिवाईज किए जाने हेतु परिवाद विद्युत उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

07. स्वीकृत तथ्यों को छोड़कर आवेदन पत्र में वर्णित अन्य तथ्यों को नकारते हुए अनावेदकगण द्वारा आवेदन के उत्तर में अपने जवाबदावें में यह व्यक्त किया गया कि आवेदक द्वारा मीटर स्थापना दिनांक 01.08.2018 से विद्युत संयोग का निरन्तर उपयोग किया जा रहा है । आवेदक द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जिसके आधार पर यह कहा जा सकें कि विद्युत संयोग सामग्री निर्माण का कार्य माह दिसम्बर 2018 से ही प्रारंभ किया गया । आवेदन के नवीन विद्युत संयोग का RAPBRP में देरी से प्रविष्टि होने के कारण शुरूआती रूप से 4 माह तक विद्युत देयक जारी नहीं किया जा सका । आवेदक द्वारा उक्त विद्युत संयोग का निरन्तर उपयोग किया जा रहा था इसी दरमियान माह दिसम्बर 2018 में उक्त विद्युत संयोग में मीटर जल गया, जिससे मीटर में वास्तविक एवं अन्तिम वाचन की गणना नहीं की जा सकी एवं माह अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 के विद्युत देयक जारी नहीं किए गए । आवेदक के उक्त विद्युत संयोग का मीटर जल जाने के कारण दिनांक 10.12.2018 को दूसरा मीटर स्थापित किया गया । दिनांक 10.12.2018 को स्थापित दूसरा मीटर क्रमांक 9022546 में उक्त मीटर का प्रारंभिक वाचन 17275 शुरू किया गया किन्तु मीटर की डिस्पोजल की कम्प्यूटर में प्रविष्टि करते समय त्रुटिवश प्रारंभिक वाचन 117275 दर्ज कर दी गई । उक्त विद्युत संयोग के माहवार वाचन लेते समय दिनांक 31.12.2018 को अन्तिम मीटर वाचन 121055 यूनिट एवं दिनांक 24.01.2019 को अन्तिम मीटर वाचन 72290 यूनिट दर्ज की जा रही थी। दिनांक 31.12.2018 एवं दिनांक 24.01.2019 को दर्ज अन्तिम मीटर वाचन असमंजस एवं शंका की स्थिति उत्पन्न होने पर दिनांक 02.02.2019 को निरीक्षण करते समय पंचनामा बनाकर उक्त मीटर को निकाला गया एवं उक्त विद्युत संयोग पर दूसरा मीटर लगाया गया । मीटर निकालते समय शंकास्पद अन्तिम मीटर वाचन 121055 दर्ज किया गया । उक्त मीटर में अन्तिम मीटर वाचन में शंका होने पर मीटर को LT MT प्रयोगशाला बड़वाह में दिनांक 07.03.2019 को मीटर की जांच कराई गई । मीटर जांच करने पर मीटर सही होना पाया गया । मीटर वाचन करते समय मीटर

में प्रारंभिक वाचन 86210 किलोवाट भार दर्ज पाया गया । मीटर में 10 यूनिट जलने के बाद अन्तिम वाचन 86220.70 किलोवाट घंटा दर्ज किया गया । मीटर जांच के आधार पर दिनांक 02.02.2019 को मीटर का अन्तिम वाचन 86210 यूनिट था ।

08. अनावेदक द्वारा अपने उत्तर में यह भी व्यक्त किया गया कि मीटर कार्य–प्रणाली सही होने के कारण मीटर जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए माह दिसम्बर 2018 से जनवरी 2019 की अवधि में कुल खपत यूनिट (अन्तिम वाचन 86210 – प्रारंभिक वाचन 17275) = 68935 यूनिट के विद्युत देयक जारी किया जाना था । चूंकि मीटर के शंकास्पद होने के कारण माह दिसम्बर 2018 में 3780 एवं माह जनवरी 2019 में औसत 10 हजार यूनिट के देयक जारी किए गए । माह दिसम्बर 2018 से जनवरी 2019 की वास्तविक खपत का आंकलन करने पर बची हुई शेष खपत यूनिट के आधार पर सहायक यंत्री लालबाग द्वारा वसूली योग्य राशि 442229 रू. आकलित की गई जो भुगतान योग्य है । उक्त विद्युत संयोग पर स्थापित प्रथम जले एवं डिस्प्ले खराब होने के कारण माह दिसम्बर 2018 में दूसरा मीटर स्थापित किया गया । दूसरा मीटर को प्रयोगशाला में कराई गई जांच के आधार पर सही पाया गया । ऐसी स्थिति में मीटर में दर्ज खपत यूनिट को आधार बनाकर 38296 यूनिट के माह अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि में मासिक औसत यूनिट के विद्युत देयक बनाए गए हैं । उक्त विद्युत संयोग पर नए मीटर में दर्ज वास्तविक खपत को आधार मानते हुए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.35 के अनुसार माह अगस्त 2018 से माह नवम्बर 2018 की अवधि के विद्युत खपत के आधार पर 153156 यूनिट के कुल विद्युत देयक राशि 10,81,761/– रू. आकलित की गई है, जो भुगतान किए जाने योग्य है ।

09. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्यवान विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 27.11.2020 द्वारा आवेदक/अपीलार्थी के परिवाद को अस्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

10. अपीलार्थी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42.6 के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील में यह व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन के संबंध में प्रति अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 01 एवं 02 के पत्र क्रमांक क्रमशः 4327 दिनांक 06.12.2019 एवं पत्र क्रमांक 1133 दिनांक 02.12.2019 के द्वारा क्रमशः 10,28,201/– रू. एवं 4,42,929/– रू. के संबंध में की गई मांग को निरस्त/रिवाईज किए जाने का निवेदन किया गया था । प्रति अपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा उक्त आपत्ति का कोई विधिवत निराकरण न किए जाने से उसके द्वारा माननीय विद्युत उपभोक्ता

शिकायत निवारण फोरम के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय इन्दौर फोरम द्वारा आदेश दिनांक 27.11.2020 के द्वारा निरस्त किया गया है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रति अपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा विवादित मीटर क्रमांक 9022546 के मीटर जांच रिपोर्ट संलग्नक 06 दिनांक 07.03.2019 के आधार पर आवेदक से 10,28,201/– रू. एवं 4,42,929/– रू. की मांग को चुनौती दी गई है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में यह व्यक्त किया गया है कि प्रति–अपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा बिना ठोस प्रमाण के मात्र मनगढ़न्त एवं काल्पनिक आधार पर उक्त राशि की मांग की गई है । अपीलार्थी द्वारा उसकी अनुपस्थिति में कराई गई विवादित मीटर के परीक्षण को शंकास्पद होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि उक्त रिपोर्ट आवेदक पर बंधनकारक नहीं है ।

11. अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में यह भी व्यक्त किया गया है कि दिसम्बर 2018 में उसके प्रथम मीटर क्रमांक 3029005 में तकनीकी खराबी आने पर उक्त मीटर खराब होकर जल गया था, जिसकी शिकायत अपीलार्थी द्वारा प्रति–अपीलार्थी/अनावेदक के समक्ष किए जाने पर प्रति–अपीलार्थी के कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 10.12.2018 में पंचनामा संलग्नक 02 बनाया जाकर उसी दिनांक को रिप्लेसमेंट ऑफ मीटर/डिस्पोजल फार्म संलग्नक 3 की पूर्ति की जाकर प्रथम मीटर क्रमांक 3029005 को बदलकर उसके स्थान पर दूसरा मीटर क्रमांक 9022546 (जिसे आगे के पदों में विवादित मीटर के रूप में संबोधित किया जावेगा) स्थापित किया गया था, जिसकी प्रथम रीडिंग 17275 संलग्नक 3 स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर 2018 का द्वितीय बिल 3780 यूनिट का एवं माह जनवरी 2019, 10 हजार औसत यूनिट का जारी किया गया था, जिसका उल्लेख अपीलार्थी के विद्युत कनेक्शन की पासबुक संलग्नक 7 में स्पष्ट रूप से दर्शित है । माह अगस्त 2018 से माह दिसम्बर 2018 तक की अवधि में किसी प्रकार का कोई बिलिंग संबंधी विवाद न होने के कारण बिल जारी करते हुए अपीलार्थी से उक्त अवधि की राशि प्राप्त की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा पुनः पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 06.12.2019 के माध्यम से अपीलार्थी/आवेदक से विधि एवं नियमों के विपरीत करीब 16 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात मांग की जा रही विवादित राशि 1028201 रू. निरस्त किए जाने योग्य है ।

12. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मेमों में यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रति–अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के संस्थान में स्थापित विवादित मीटर क्रमांक 9022546 के संबंध में अपीलार्थी/आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत न की जाने के बाबजूद दिनांक

02.02.2019 को बनाए गए पंचनामें संलग्नक 4 के अनुसार उक्त विवादित मीटर की कार्य–प्रणाली को डिफेक्टिव होने एवं असमंजस रीडिंग 123112 का उल्लेख कर उक्त दिनांक को अपीलार्थी आवेदक के संस्थान में विवादित मीटर क्रमांक 9022546 के स्थान पर तीसरा मीटर क्रमांक 3549651 स्थापित किया था । अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि यदि प्रति–अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के परिसर से निकाले गए विवादित मीटर क्रमांक 9022546 को प्रयोगशाला में यदि जांच कराना था तो इसकी सूचना विधिवत् रूप से विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.18 के अनुसार अपीलार्थी/आवेदक को दिया जाना चाहिए था, किन्तु प्रति अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा कोई सूचना अपीलार्थी/आवेदक को दिए बिना विवादित मीटर क्रमांक 9022546 की कथित जांच अपने स्तर पर कराई गई । उक्त समस्त कार्यवाही विद्युत के विपरीत होने से अपीलार्थी/आवेदक पर बंधनकारी नहीं है, ऐसी दशा में दिसम्बर 2018 से माह जनवरी 2019 तक की अंतर यूनिट 55155 की राशि 442929 रू. रिवाईज किए जाने योग्य है ।

13. अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेमों में यह भी व्यक्त किया गया है कि संलग्नक 6 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज में ऊपर कॉलम में रीडिंग के स्थान पर 121055 का उल्लेख किया गया है एवं उक्त दस्तावेज पर परीक्षण के पूर्व वाचन के सामने वाले भाग पर 86220.7 kwh का उल्लेख किया गया है । अपीलार्थी/आवेदक के परिसर से निकालते समय उक्त मीटर की रीडिंग 123112 यूनिट संलग्नक 4 एवं 121055 यूनिट तथा मीटर के डिफेक्टिव फास्ट होने का उल्लेख संलग्नक 5 में किया गया है । इन विसंगतियों एवं विरोधाभाष को दृष्टिगत् रखते हुए विवादित मीटर जांच रिपोर्ट 07.03.2019 संलग्नक 6 शंकास्पद होने एवं अपीलार्थी/आवेदक की अनुपस्थिति से उक्त जांच रिपोर्ट विधि एवं नियम के विरूद्ध होने से अपीलार्थी/आवेदक पर बंधनकारक नहीं है, ऐसी स्थिति में आवेदक की अपील को स्वीकार कर माननीय इन्दौर फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2020 को निरस्त कर अपीलार्थी/आवेदक से मांग की गई राशि को रिवाईज अथवा निरस्त कराई जाएं ।

14. अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए यह व्यक्त किया गया है कि माननीय फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत आदेश पारित किया गया है । प्रति–अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि दिनांक 01.08.2018 से 4 माह तक मीटर वाचन नहीं किया गया । विद्युत संयोग की स्थापना के 4 माह बाद प्रथम विद्युत देयक माह नवम्बर 2018 में 32 यूनिट का जारी किया गया । उक्त विद्युत देयक वास्तविक मीटर वाचन का न होकर त्रुटिवश कम्प्यूटर बिलिंग शाखा के आपरेटर द्वारा गलत मीटर वाचन पंच कर देने के कारण जारी

हुआ था । अपीलार्थी के परिसर में स्थापित प्रथम मीटर क्रमांक 3029005 जल जाने के कारण दिनांक 10.12.2018 को मौका पंचनामा बनाकर दूसरा मीटर स्थापित किया गया । अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि दिनांक 10.12.2018 विद्युत संयोग पर लगाया गया दूसरा मीटर विवादित अपीलार्थी की सम्पूर्ण शंका को दूर करने के लिए दूसरा मीटर क्रमांक 9022546 को अपीलार्थी के परिसर से मौका पंचनामा क्रमांक 4291/05 दिनांक 02.02.2019 बनाकर तीसरा मीटर स्थापित किया गया । अपीलार्थी के परिसर से निकाले गए मीटर क्रमांक 9022546 की दिनांक 07.03. 2019 को प्रयोगशाला में जांच कराई गई जहां मीटर सही होना पाया गया । अपीलार्थी के उक्त विद्युत संयोग मीटर वाचन के आधार पर माह दिसम्बर 2018 में मीटर खपत 3780 के आधार पर विद्युत देयक जारी किया गया, किन्तु मीटर वाचन डायरी में अंकीय असमानता पाई जाने पर जनवरी 2019 में वास्तविक खपत का देयक जारी न करते हुए औसत खपत 10 हजार यूनिट के आधार पर विद्युत देयक जारी किया गया ।

15. प्रति–अपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा अपील के उत्तर में यह भी व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 02.02.2019 को पंचनामा बनाते समय ही मीटर जांच किए जाने के संबंध में अवगत करा दिया गया था । अपीलार्थी को पूर्व में ही ज्ञात था कि मीटर जांच प्रयोगशाला में जांच हेतु निकाला गया था । मीटर की जांच कम्पनी प्रयोगशाला एलटी एमटी प्रयोगशाला बड़वाह में कराई गई । इसके पश्चात् फोरम के आदेश अनुसार उक्त मीटर की एम.आर.आई. जांच भी कराई गई । मीटर जांच करते समय मीटर जांच के पूर्व में दर्शित रीडिंग वाचन 86210 एवं जांच के उपरान्त 10 यूनिट चलाने पर 86220 यूनिट दर्ज पाई गई । प्रति–अपीलार्थी कम्पनी के द्वारा मांग की जा रही 1081761 एवं 442929 रू. अपीलार्थी द्वारा विवादित माना गया है । उक्त दोनों राशियां प्रति–अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नियमानुसार गणना पत्रक क्रमांक – 01 एवं गणना पत्रक क्रमांक – 02 के माध्यम से निकाली गई है जो सही होकर भुगतान योग्य है । अपीलार्थी के विद्युत संयोग के मीटर डायरी के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि उक्त विद्युत संयोग के द्वितीय मीटर क्रमांक 9022546 का प्राथमिक वाचन 17275 यूनिट था, किन्तु कार्यालयीन त्रुटि के कारण प्राथमिक वाचन 17275 के स्थान पर 117275 यूनिट दर्ज कर लिया गया । इसके पश्चात् उक्त विद्युत संयोग पर दिनांक 31.12.2018 को मीटर वाचन 121055 यूनिट दर्ज की गई । आगामी माह में दिनांक 24.01.2019 को मीटर वाचन 74290 यूनिट दर्ज की गई । शंकास्पद मीटर वाचन पाए जाने पर पंचनामें में वाचन में डिफेक्टिव का लेख कर दिया गया । उक्त मीटर की जांच एल.टी.एम.टी. प्रयोगशाला बड़वाह में करने पर मीटर सही पाया गया एवं इसी आधार पर अगस्त से नवम्बर की अवधि के लिए 1081761/– रू. दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 की अवधि के लिए 442929/–

रू. आंकलित कर उक्त राशि का भुगतान करने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया गया । इन परिस्थितियों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है ।

16. अपील की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा मशीनों की वास्तविक स्थापना दिनांक के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं उभयपक्ष की ओर से मौखिक तर्क के साथ–साथ लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई ।

17. अपीलार्थी के अपील मेमों, प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील के जवाब एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्क सुनें गए एवं लिखित बहस का अवलोकन किया गया ।

इस प्रकरण के विनिश्चयन हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार है :–

01. क्या विवादित मीटर क्रमांक 9022546 के संबंध में मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई अभिकथित जांच के आधार पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2019 आवेदक/अपीलार्थी पर बंधनकारी है ?
02. क्या अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा आवेदक/अपीलार्थी से माह अगस्त से नवम्बर 2018 की अवधि के लिए 1028201/– रू. की मांग अवैध एवं अनुचित है ?
03. क्या अनावेदकण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा संलग्न – 08 एवं 09 के माध्यम से दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 की अवधि के लिए 442929/– रू. की मांग अवैध एवं अनुचित है ?
04. क्या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किए जाने योग्य हैं ?

विचारणीय प्रश्नों के संबंध में सकारण निष्कर्ष :

विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 01 :

18. अनावेदक प्रति अपीलार्थी द्वारा आवेदक अपीलार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक/049/राजस्व/18–19/4527 दिनांक 06.12.2019 संलग्नक 08 के द्वारा अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर 2018 की अवधि के लिए 10,81,761/– रू0 की मांग इस आधार पर की गई है कि परिसर में स्थापित मीटर जल जाने के कारण वास्तविक खपत का निर्धारण नहीं हो सका था । ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.35 के आधार पर आवेदक/अपीलार्थी से 10,81,761/– रू0 की राशि ली जानी है । संलग्नक 08 के माध्यम से अनावेदक अपीलार्थी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि दिनांक 10.12.2018 को परिसर में जले मीटर को बदलकर नया मीटर क्रमांक 9022546 संयोजित किया गया था जिसका प्रारंभिक वाचन 117275 था । इस मीटर की दिनांक 31.12.2018 की रीडिंग मीटर रीडिंग डायरी में 121055 लेख

की गई एवं इस माह में 13780 यूनिट का बिल जारी किया गया था । दिनांक 24.01.2019 को इसकी रीडिंग 74290 ली गई है । इस प्रकार मीटर रीडिंग पूर्व रीडिंग से कम आने पर संबंधित ग्रुप इंचार्ज अधिकारी द्वारा मीटर को डिफेक्टिव बतलाकर दिनांक 02.02.2019 की उक्त मीटर को अन्तिम वाचन 121055 पर बतलाकर नया मीटर क्रमांक 3549657 प्रारंभिक वाचन 0005 पर लगाया गया एवं डिफेक्टिव मीटर को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में दिनांक 07.03.2019 को भेजा गया । प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर मीटर सही पाया गया एवं प्रारंभिक मीटर वाचन 86210.70 किया गया ।

अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.12.2019 संलग्नक 08 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 10.12.2018 को मीटर क्रमांक 9022546 संयोजित करने पर उसका प्रारंभिक वाचन 117275 रिकार्ड किया गया था । दिनांक 24.01.2019 को इसकी रीडिंग 74290 लेख है । यह विसंगति अपने आप में इस तथ्य का द्योतक है कि दिनांक 10.12.2018 को लगाया गया मीटर क्रमांक 9022546 दोषपूर्ण था एवं उसके द्वारा बिजली खपत का सही वाचन नहीं दर्शाया जा रहा था । इस तथ्य की पुष्टि मीटर रिप्लेसमेंट के पंचनामा संलग्नक 04 से भी हो जाती है, जिसमें निरीक्षण करने वाले निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि मीटर की कार्य–प्रणाली डिफेक्टिव है, जिसमें असमंजस रीडिंग आ रही है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 02.02.2019 को मीटर क्रमांक 9022546 द्वारा त्रुटिपूर्ण वाचन अंकित किए जाने के कारण उक्त मीटर को निकालकर उसके स्थान पर नया मीटर क्रमांक 3549651 संयोजित किया गया है ।

अनावेदक प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्र संलग्नक 08 में यह व्यक्त किया गया है कि डिफेक्टिव मीटर को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में दिनांक 07.03.2019 को भेजा गया । मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर सही अवस्था में पाया गया एवं मीटर में अन्तिम रीडिंग 86210 पाई गई । दिनांक 02.03.2019 को उपभोक्ता के परिसर से मीटर निकाले जाते समय मौके पर बनाएं गए मीटर रिप्लेसमेंट एवं पी.डी. फार्म में संलग्नक – 05 में निकाले गए मीटर क्रमांक 9022546 की अन्तिम रीडिंग 1,21,055 दर्शाईं गई हैं । राज्य विद्युत बोर्ड, बुरहानपुर द्वारा किए गए अभिकथित परीक्षण के समय तैयार प्रोफार्मा संलग्नक – 06 में भी मीटर क्रमांक 9022546 की रीडिंग 1,21,055 दर्शाईं गई हैं किन्तु इसी प्रोप्रार्मा में परीक्षण के पूर्व रीडिंग 86210.7 होना दर्शाया गया है । मीटर निकाले जाते समय एवं परीक्षण के समय मीटर की रीडिंग 1,21,055 दर्ज किए जाने के बावजूद परीक्षण से पूर्व 86210.7 रीडिंग किस आधार पर अंकित की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण

अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण की ओर से नहीं दिया गया है । ऐसी दशा में अभिकथित परीक्षण की कार्यवाही संदेहास्पद परिलक्षित होती है । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.15 में यह प्रावधान किया गया है कि आवश्यक होने पर अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान मापयंत्र को परीक्षण हेतु हटाने का अधिकारी है, किन्तु ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को इस आशय की प्रमाणिक सूचना प्रस्तुत करनी होगी एवं अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मापयंत्र निकालने के पूर्व अपना नाम एवं पता सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती देना होगा । वर्तमान मामले में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मीटर के त्रूटिपूर्ण होने के आधार पर उक्त मीटर को उपभोक्ता के परिसर से हटाकर उसके स्थान पर नया मीटर लगाया गया था । अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उक्त मीटर न तो परीक्षण हेतु हटाया गया था एवं न ही इस आशय की कोई प्रमाणिक सूचना उपभोक्ता को दी गई थी, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के परीक्षण के संबंध में सूचना दिए जाने के अभाव में अभि–कथित परीक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही दूषित हो जाती है ।

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.18 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मापयंत्र की प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना कम से कम 7 दिवस पूर्व उपभोक्ता को दी जावे ताकि उपभोक्ता अथवा उसके प्रतिनिधि परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सके । वर्तमान प्रकरण में अनावेदक/प्रति अपीलार्थी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मीटर को मीटर परीक्षण करने के संबंध में परीक्षण दिनांक के 07 दिवस पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना उपभोक्ता को दी गई थी । अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण के अनुसार विवादित मीटर क्रमांक 9022546 का प्रयोगशाला में परीक्षण 07.03.2019 को किया गया था, जबकि उक्त मीटर उपभोक्ता के परिसर से दिनांक 02.03.2019 को हटाया गया था । ऐसी दशा में म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.18 के अनुसार उपभोक्ता को परीक्षण कराए जाने के संबंध में परीक्षण के 07 दिवस पूर्व सूचना दिया जाना संभव ही नहीं था, ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा मीटर का अभिकथित परीक्षण करने के समय म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.18 की स्पष्ट अवहेलना की गई है ।

विधि का यह स्थापित सिद्धांत जहां मीटर की अभिकथित परीक्षण के समय प्रयोगशाला में उपस्थित रहने के लिए उपभोक्ता को कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में परीक्षण रिकार्ड को विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता है । इस संबध में हरियाणा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग द्वारा अभिनिर्णित मामला **उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बनाम तिलक राज बतरा**

III (2011) CPJ 195 अवलोकनीय है जिसमें आयोग द्वारा यह स्पष्ट अभिमत दिया गया कि उपभोक्ता को परीक्षण के संबंध में सूचना के अभाव में परीक्षण रिपोर्ट को विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता है । इन परिस्थितियों में उपभोक्ता को परीक्षण के संबंध में सूचना के अभाव में उपभोक्ता की अनुपस्थिति में मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराया गया अभिकथित परीक्षण के आधार पर प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है ।

जहां तक मीटर के प्रयोगशाला में परीक्षण किए जाने का प्रश्न है दिनांक 02.02.2019 को मीटर क्रमांक 9022546 निकाले जाते समय उक्त मीटर को सील्ड किए जाने की कोई कार्यवाही मौके पर किए जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । मीटर रिप्लेसमेंट एवं PD फार्म संलग्नक 03 एवं इस संबंध में बनाए गए पंचनामा प्रदर्श 04 में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त मीटर को मौके पर सील्ड किया गया था एवं उसे मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षित किए जाने के संबंध में कोई सूचना उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता के प्रतिनिधि को दी गई थी । ऐसी स्थिति में बिना सील्ड किए एवं इस संबंध में उपभोक्ता को सूचित किए बिना मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर को परीक्षित कराए जाने अभिकथित कार्यवाही पूर्णतः दूषित हो जाती है । उपर वर्णित विवेचना से यह स्पष्ट है कि मीटर क्रमांक 9022546 के संबंध में अभिकथित परीक्षण की संपूर्ण कार्यवाही न केवल संदेहास्पद है वरन् इस कार्यवाही के दौरान म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.15 एवं 8.18 की स्पष्ट अवहेलना के साथ–साथ नैसर्गिक न्याय के मौलिक नियमों की भी अवहेलना की गई है । ऐसी दशा में अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा मीटर क्रमांक 9022546 के अभिकथित परीक्षण प्रतिवेदन दिनांकित 07.03.2019 को आवेदक/अपीलार्थी पर बंधनकारी नहीं माना जा सकता है ।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :</u>

19. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 में वह प्रक्रियां निहित की गई है जिसके अनुसार मापयंत्र के कार्यरत न रहने की अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक तैयार किया जावेगा । कण्डिका 8.35 निम्नानुसार है :–

8.35 जिस अवधि में मापयंत्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा :

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा ।

(ब) *ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (*main meter*) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (*check meter*) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयंत्र चक्रों के आधार पर किए गए मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा । तथापि, यदि मापयंत्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन–चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है, जो इस प्रतिबंध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ–साथ उपभोक्ता के लिए भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा । यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा ।*

(स) *अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयंत्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (*provisional bill*) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा ।*

मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षैत्र विद्युत वितरण कम्पनी बुरहानपुर के कार्यपालन यंत्री द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को प्रेषित पत्र क्रमांक 4327 संलग्नक – 08 के माध्यम से 1081761/– रू0 की मांग इस आधार पर की गई है कि उसके परिसर में स्थापित प्रथम मीटर जल जाने के कारण वास्तविक मीटर का निर्धारण न होने के कारण म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.35 के आधार पर आगामी माह में उपभोक्ता द्वारा की गई मासिक औसत खपत के आधार पर उक्त राशि आकलित की गई है । जहां तक दिनांक 02.12.2018 के पूर्व की अवधि हेतु विद्युत खपत के संबंध में 1081761/– रू0 की मांग का प्रश्न है, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिसके आधार पर यह दर्शित हो कि उक्त अवधि में स्थापित मापयंत्र त्रुटिपूर्ण रहा

है । इसके विपरीत स्वयं विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से प्रेषित बिल संलग्नक – 01 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 30 नवम्बर 2018 को मीटर क्रमांक 3029005 की रीडिंग ली गई थी, जिसमें वर्तमान रीडिंग 40 एवं पिछली रीडिंग 08 होने के आधार पर 32 यूनिट की खपत मानते हुए देयक प्रेषित किया गया था । ऐसी दशा में उक्त अवधि में (01 अगस्त 2018 से 30 नवम्बर, 2018) मीटर क्रमांक 3029005 को अक्रियाशील मानने का कोई आधार नहीं है । म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 में उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक तैयार किए जाने की प्रक्रियां दी गई है जिस अवधि में मीटर कार्यरत् नहीं रहता है । ऐसी दशा में अगस्त से नवम्बर 2018 की अवधि के लिए म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ।

यद्यपि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण इस तथ्य को स्थापित करने में विफल रहे हैं कि 01 अगस्त 2018 से 30 नवम्बर 2018 तक मीटर क्रमांक 3029005 कार्यरत् नहीं रहा है, किन्तु यदि तर्क के आधार पर यह भी मान लिया जावें कि उक्त अवधि में मीटर क्रमांक 3029005 कार्यरत् नहीं रहा है तो भी म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार द्वितीय मीटर क्रमांक 9022546 के मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण के आधार पर इस अवधि के लिए राशि की मांग नहीं की जा सकती, क्योंकि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मीटर के अक्रियाशील रहने की अवधि में उस अवधि की विद्युत खपत का आकलन उस मीटर के स्थान पर लगाए गए मीटर की त्रुटिपूर्ण होने की शंका होने पर उस मीटर के परीक्षण प्रयोगशाला में किए गए परीक्षण के आधार पर किया जावेगा । इन समग्र परिस्थितियों में आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा उससे माह अगस्त से नवम्बर 2018 की अवधि के लिए 1028201/– रू. की मांग अवैध एवं अनुचित है । तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 सकारात्मक रूप में विनिश्चत किया जाता है ।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03</u> :

20. अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को प्रेषित मांग पत्र क्रमांक 4327 दिनांकित 06.12.2019 संलग्नक 08 के माध्यम से माह दिनांक 10.12.2018 से 02.02.2019 तक की अवधि के लिए 442929 रू. की राशि की वसूली इस आधार पर चाही गई है कि मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में मीटर क्रमांक 9022546 का परीक्षण करने पर अन्तिम रीडिंग 86210 पाई गई एवं उक्त मीटर का प्रारंभिक वाचन 17275 था । वर्तमान प्रकरण में इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद

नहीं है कि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण के विभाग के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मीटर क्रमांक 9022546 को उपभोक्ता के परिसर से इस आधार पर निकाला गया था कि वह त्रुटिपूर्ण होकर तेज रीडिंग दर्शा रहा है । अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का हवाला देते हुए आवेदक/अपीलार्थी से उपर वर्णित राशि की मांग की गई है ।

जहां तक म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का प्रश्न है, वर्तमान मामलें में जांच मापयंत्र के आधार पर खपत का आंकलन नहीं किया गया है, ऐसी दशा में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 (अ) में दी गई प्रक्रियां इस मामलें में लागू नहीं होती है ।

वर्तमान प्रकरण में मापयंत्र क्रमांक 9022546 उसके स्थापित किए जाने के दो माह की अवधि में ही त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण पूर्व 3 मापयंत्र चक्रों की अवधि में इस मापयंत्र का वाचन नहीं किया गया है, ऐसी दशा में विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व 3 मापयंत्र चक्रों के आधार पर किए गए मापयंत्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर नहीं किया जा सकता । वर्तमान मामले में मापयंत्र क्रमांक 9022546 संयोजन तिथि से 3 माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया गया है, ऐसी दशा में म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 (ब) के अनुसार विद्युत खपत की मात्रा का आंकलन नवीन मापयंत्र क्रमांक 3549651 द्वारा 3 मापयंत्र वाचन चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जाना नियम सम्मत है। ऐसी स्थिति में अनावेदक प्रति अपीलार्थी को माह दिसम्बर एवं जनवरी में विद्युत खपत के निर्धारण हेतु नवीन मापयंत्र क्रमांक 3549651 द्वारा 3 मापयंत्र वाचन चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर विद्युत की मात्रा का आंकलन करना चाहिए था ।

यद्यपि अनावेदक/प्रति–अपीलार्थी द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 का हवाला देकर दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 की अवधि के लिए 442929 रू. की राशि की मांग की गई है, किन्तु म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका क्रमांक 8.35 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मीटर की शुद्धता के संबंध में शंका होने पर उस मीटर के मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण में पाए गए निष्कर्ष के आधार पर उस अवधि की विद्युत खपत का आकलन किया जाएगा जिस अवधि में वह मीटर स्थापित रहा था । इसके विपरीत कण्डिका 8.35 (ब) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी मापयंत्र के स्थापित किए जाने की 3 माह की अवधि में त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर विद्युत की मात्रा का आकलन उस मापयंत्र के स्थान पर प्रति–स्थापित किए गए नवीन मापयंत्र द्वारा 3 मापयंत्र वाचन चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार पर किया जा सकता है । इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा

आवेदक/अपीलार्थी से 10.12.2018 से 02.02.2019 तक की अवधि के लिए 442929 रू. की मांग मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार की गई है । ऐसी दशा में अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा 10.12.2018 से 02.02.2019 तक की अवधि के लिए 442929 रू. की मांग पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित है । तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 सकारात्मक रूप में विनिश्चित किया जाता है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 :

21. उपर वर्णित विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि मीटर क्रमांक 9022546 के मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराए गए अभिकथित परीक्षण की जांच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2019 उस पर बंधनकारी नहीं है । आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा मीटर क्रमांक 9022546 की अभिकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि की विद्युत खपत के संबंध में 1081761/– रू. की मांग अनुचित एवं अवैधानिक है । आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि अनावेदकगण/प्रति–अपीलार्थीगण द्वारा मीटर क्रमांक 9022546 की अभिकथित जांच रिपोर्ट के आधार पर 10 दिसम्बर, 2018 से 02.02.2019 तक की अवधि की विद्युत खपत के संबंध में 442929/– रू. की मांग अनुचित एवं अवैधानिक है । ऐसी दशा में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2020 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

अन्तिम निष्कर्ष :

22. उपर वर्णित विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि आवेदक/अपीलार्थी इस तथ्य को प्रमाणित करने में सफल रहा है कि विवादित मीटर क्रमांक 9022546 के संबंध में मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई अभिकथित जांच के आधार पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 07.03.2019 उसके उपर बंधनकारी नहीं है ।

आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा उससे माह अगस्त से नवम्बर 2018 की अवधि के लिए 1028201/– रू. की मांग अवैध एवं अनुचित है । आवेदक/अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा उससे माह दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 की अवधि के लिए 442929/– रू. की मांग अवैध एवं अनुचित है । ऐसी दशा में विद्यवान विद्युत उपभोक्ता

शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 27.11.2020 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से आवेदक/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर उक्त आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। अनावेदकगण/प्रतिअपीलार्थीगण म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 के अनुसार माह दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 की विद्युत खपत का निर्धारण दिनांक 02.03.2019 को स्थापित मीटर क्रमांक 3549651 के 3 मापयंत्र चक्रों के मासिक औसत के आधार पर करने हेतु स्वतंत्र हैं । परिणामतः आवेदक/अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है ।

23. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

24. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल